न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – अशोक कुमार योगी, आर०ए०एस०

रसद मामला संख्या–70 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, नागौर		भोपालराम पुत्र चेनाराम जाति राव निवासी खींवसर जिला नागौर। (मालिक जोधाणा स्वीट होम खींवसर)

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया

निर्णय **दिनांक** –06.02.2024

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा।

1. प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 17.12.22 को डॉ. धीरजकुमार सिंह उपखण्ड अधिकारी खींवसर हमराह अमरसिंह तहसीलदार खींवसर एवं कंवराराम प्रवर्तन अधिकारी खींवसर द्वारा घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत मैसर्स जोधाणा स्वीट होम, खींवसर पर आकस्मिक जांच की गई। वक्त जांच मौके पर भोपालराम पुत्र चेनाराम जाति राव निवासी खींवसर उपस्थित मिले जिन्होनें कारखाने का निरीक्षण करवाया जिसमें मिठाई बनाने की भट्टियों 07 घरेलू सिलेण्डर लगे हुए पाये गये जिनका उपयोग मिठाई बनाने में किया जा रहा था। फर्म द्वारा मिठाई बनाकर व्यवसायिक रूप से बिक्री किया जाता है। इस प्रकार फर्म मैसर्स जोधाणा स्वीट होम खींवसर द्वारा घरेलू गैस का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। श्री भोपालराम से घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर उपस्थित भोपालराम द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर घरेलू गैस के 07 सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया।

1(1) जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	नाम गैस कम्पनी	एस.आर. नं.	गैस वजन
1	एचपीसी	470617-S	2 किग्रा
2	बीपीसीएल	322889-S	5 किग्रा
3	एचपीसी .	1556-S	खाली
4	एचपीसी	228828- S	3 किग्रा
5	एचपीसी	087909- S	2 किग्रा
6	एचपीसी	IS3196	4 किग्रा
7	आईओसीएल	1086	खाली

उपरोक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के 07 सिलेण्डर मय गैस को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स श्री श्रीयादे माता गैस एजेन्सी खींवसर के प्रतिनिधि मुकेश की सुपुर्दगी में दिये गये है।

इस प्रकार भोपालराम का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीव्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। दिनांक 17.12.22 को डॉ. धीरजकुमार सिंह उपखण्ड अधिकारी खींवसर हमराह श्री अमरसिंह तहसीलदार खींवसर एवं कंवराराम प्रवर्तन अधिकारी खींवसर द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस पाये गये। मौके पर अप्रार्थी भोपालराम पुत्र चेनाराम जाति राव निवासी खींवसर जिला नागौर से पूछताछ करने पर उसके पास गैस भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थी का यह कृत्य लिक्वीफाइड

अपर कलक्टर, नागौर

पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो दण्डनीय अपराध है।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा पैरा संख्या 1(1) में वर्णित 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। उक्त 07 गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार कीमतन निस्तारण से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

4. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर